J . D . A .

NORTH:-

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग एवं भूखण्डों की निर्माण स्थिति :–

आवासीय – 60

व्यावसायिक – 02

व्यवसायिक फुटकर –01

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड –

कुल भूखण्ड – 63

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :–

नोट :– सेक्टर रोड़ एवं योजना की रोड़ पर स्थित कोर्नर भूखण्डों का क्षैत्रफल नियमानुसार कम किया गया है।

AREA ANALYSIS:-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षैत्रफल (Sq.Mt.)	प्रतिशत (%)
1.	आवासीय	8604.81	58.94%
2.	व्यवसायिक	617.80	04.23%
3.	खुर्दरा व्यवसायिक (INFORMAL WITH P.U.)	255.30	01.75%
4.	पार्क, एवं खुला क्षैत्र	733.10	05.02%
5.	MOBILE TOWER	21.00	00.14%
6.	S.W.M. (SOLID WASTE MANAGEMENT)	50.13	00.34%
7.	योजना सड़क क्षैत्र	4317.99	29.58%
कुल योजना क्षेत्र		14600.00	100.00%

कुल खातेदार का क्षेत्र = 14600.00 SQ.Mt. (1.4600 HACT.)

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम — तहसीलदार

नाम — उपायुक्त जोन:–

बी.पी.सी/जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

DEVELOPER:-

ARCHITECTURAL CONSULTANT:-

CADD SQUARE Consultancy

319 - 2 nd Floor, Apex Mall, Lal kothi, Tonk Road, Jaipur (Raj.)
Tel : +91 141 4015808, Mob.- 98290-47373, 97845-90593
Email: caddsquare.jaipur@gmail.com, Web : www.caddsquare.com

NAME OF SCHEME :-

"VRINDAVAN GREENS"

LAYPUT PLAN IN KHASRA NO.- 51, 52, 515/53, 58/371
AT VILLAGE :- RAMCHANDRAPURA, TEHSIL- SANGANER, JAIPUR (RAJ.)

NAME OF SOCIETY :-	"NIJI KHATEDAR"
ZONE NO.- 12	SECTOR. NO. -
SCALE:-1CM=5.0MT.	DRG. NO. CSC/24/138

A.T.P. ZONE (ZONE–12)	D.T.P. (ZONE–12)	S.T.P. (ZONE–12)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "VRINDAVAN GREENS"

IN KHASRA NO.- 51, 52, 515/53, 58/371
AT VILLAGE- RAMCHANDRAPURA, TEH.-SANGANER, JAIPUR (RAJ.)
SCALE :- 1 : 500 OR (1CM = 5.0 Mt.)

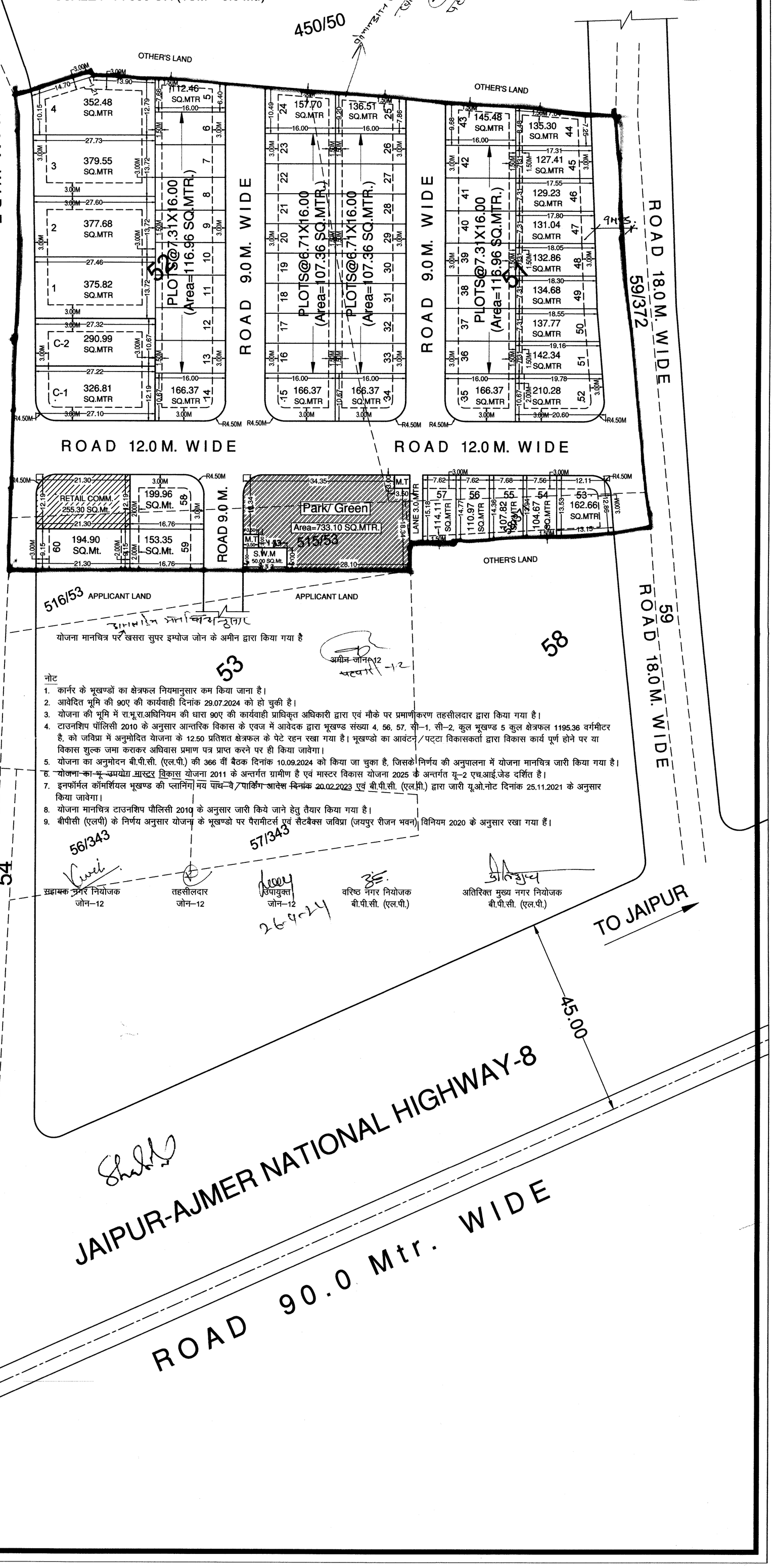

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है

अमीन जोन–12

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 29.07.2024 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4, 56, 57, सी–1, सी–2, कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 1195.36 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 366 वीं बैठक दिनांक 10.09.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू–2 एच.आई.जेड दर्शित है।
7. इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ–वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार किया जावेगा।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया हैं।

सहायक नगर नियोजक जोन–12	तहसीलदार जोन–12	उपायुक्त जोन–12	वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)
		26-9-24		